रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2017/माघ 20, 1938
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2017/MAGHA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 117(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139(क) और धारा 203(क) की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(1) नियम 114 के उपनियम (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु आवेदक राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से स्थायी लेखा संख्यांक के आवंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसे प्ररूपों और प्रपत्रों के सुरक्षित और सुनिश्चित पारेषण के लिए प्रक्रिया के साथ व्यक्तियों के वर्गों प्ररूपों और प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट करेगा ।"

(2) नियम 114क के उपनियम (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु आवेदक राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक के आवंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसे प्ररूपों और प्रपत्रों के सुरक्षित और सुनिश्चित पारेषण के लिए प्रक्रिया के साथ व्यक्तियों के वर्गों, लागू प्ररूपों और प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट करेगा ।"

[अधिसूचना सं. 9/2017/फा.सं.370142/40/2016-टीपीएल]

डा. टी.एस.मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आयकर नियम (पहला संशोधन), 2017 में अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 14(अ), तारीख 6 जनवरी, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

G.S.R. 117(E).— In exercise of the powers conferred by section 139A and sub-section (1) of section 203A, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income –tax (2nd Amendment) Rules, 2017.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, –

(i) in rule 114, in sub-rule (1) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that an applicant may apply for allotment of permanent account number through a common application form notified by the Central Government in the Official Gazette, and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify the classes of persons, forms and formats along with procedure for safe and secure transmission of such forms and formats in relation to furnishing of permanent account number.";

(ii) in rule 114A, in sub-rule (1) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided that an applicant may apply for allotment of a tax deduction and collection account number through a common application form notified by the Central Government in the Official Gazette, and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax(Systems) shall specify the classes of persons, applicable forms and formats along with procedure for safe and secure transmission of such forms and formats in relation to furnishing of tax deduction and collection account number.".

[Notification No. 9/2017/F.No. 370142/40/2016-TPL]

Dr T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (1st Amendment) Rules, 2017 *vide* notification number G.S.R.No.14(E), dated the 6th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.13 15:46:38 +05'30'